

मध्यप्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

डॉ. रामप्रताप गुप्ता

किसी भी देश, प्रदेश अथवा क्षेत्र की कृषि, उद्योग, सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संरचनात्मक सुविधाओं के विकास की प्रक्रिया में विद्युत आपूर्ति महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं के विकास में भी विद्युत की नियमित तथा पर्याप्त आपूर्ति का अपना स्थान होता है। गरीबी निवारण में भी विद्युत आपूर्ति के महत्त्व को देखते हुए कुछ वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश की सरकार ने सभी गरीब परिवारों को निशुल्क एकबत्ती कनेक्शन की सुविधा प्रदान की थी जो कि अब वापिस ले ली गई है। जीवन के सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के महत्त्व को देखते हुए 'भारत निर्माण' कार्यक्रम के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के तहत यह तय किया गया था कि देश के सभी गांवों को सन 2009 तक विद्युत आपूर्ति प्रदान कर दी जाएगी।

विद्युत मण्डल की परिभाषा के अनुसार किसी भी गांव को उस समय विद्युतीकृत मान लिया जाता है जब वहां विद्युत आपूर्ति पहुंचा दी गई हो तथा गांव के कम से कम 10 प्रतिशत परिवारों को प्रदान कर दी गई हो। मध्यप्रदेश योजना आयोग ने बताया है कि 2009 तक प्रदेश के कुल 52074 गांवों में से 44092 गांवों को विद्युत आपूर्ति प्रदान कर दी गई है मगर 3036 गांव ऐसे हैं जिनको आपूर्ति तो मिली है परन्तु 10 प्रतिशत परिवारों को भी विद्युत कनेक्शन प्राप्त नहीं हैं। अर्थात् प्रदेश में अभी भी 7982 गांवों (15.3 प्रतिशत) का विद्युतीकरण शेष है। ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 10 प्रतिशत परिवारों को बिजली की सुविधा उपलब्ध होने पर ही गांव को विद्युतीकृत मान लेने जैसे निम्न स्तरीय मापदण्ड के बावजूद 15 प्रतिशत गांवों को बिजली प्रदान न करना सार्थक प्रयासों के अभाव का द्योतक ही माना जाएगा।

यह देखना आवश्यक है कि प्रदेश के जिन 85 प्रतिशत गांवों में बिजली सुविधा का लाभ मिल रहा है, उनमें कितने परिवारों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 81.25

लाख परिवार रहते हैं। इनमें से अब तक केवल 30.6 लाख परिवारों (36.7 प्रतिशत) को ही बिजली की सुविधा प्राप्त है। सरकार भले ही दावा करे कि प्रदेश के 85 प्रतिशत गांवों को विद्युतीकृत कर दिया है, परन्तु वास्तविकता यह है कि प्रदेश के प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से 2 परिवारों को ही बिजली का उजाला मिल पाता है।

फिर विद्युतीकृत परिवारों के ये निम्न स्तरीय आंकड़े भी भारी क्षेत्रीय विषमताओं से ग्रसित हैं। जहां इन्दौर और शाजापुर जिलों में ग्रामीण परिवारों के क्रमशः 89.8 प्रतिशत और 89.4 प्रतिशत परिवार बिजली की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पन्ना जिले के 18.65 प्रतिशत, भिण्ड जिले के 32.5 प्रतिशत, डिन्डोरी जिले के 34.9 प्रतिशत और टीकमगढ़ जिले के 37.5 प्रतिशत परिवारों को ही यह सुविधा प्राप्त है। जिन जिलों में विद्युतीकृत परिवारों का प्रतिशत कम है, वे विकास के अन्य मापदण्डों, जैसे प्रति व्यक्ति आय, कृषि उत्पादकता, साक्षरता, गरीबी के स्तर की दृष्टि से भी पिछड़े हैं। इन जिलों के ग्रामीण परिवारों को बिजली की सुविधा प्रदान करने से वे इन मापदण्डों पर भी आगे बढ़ सकेंगे।

यह देखना भी आवश्यक है कि प्रदेश के जिन 37.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को बिजली की सुविधा मिल रही है, उन्हें प्राप्त बिजली की गुणवत्ता कैसी है? शहरी क्षेत्र में बिजली की सुविधा का अर्थ दिन में 20-22 घंटे बिजली मिलना है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में यही अर्थ 8-10 घंटे तक सिकुड़कर रह जाता है। फिर शहरी क्षेत्र में जिन घंटों में बिजली उपलब्ध नहीं होती है, वे प्रायः ऐसे होते हैं जब बिजली की आवश्यकता वैसे भी कम ही होती है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दिन के जिन 8-10 घंटों की अवधि में उपलब्ध होती है, वह बिजली की कम आवश्यकता वाली अवधि है। ग्रामीण परिवारों को बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता तो रात 6 से 10 बजे के बीच होती है। इस समय ही गृहणियां खेत, खलिहान से या मज़दूरी करके

लौटती हैं, परिवार के लिए खाना बनाती हैं, पुरुष पशुओं को दोहते हैं, उन्हें चारा पानी डालते हैं आदि। ठीक इसी समय जबकि ग्रामीण परिवारों को बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, ठीक उसी समय यह उनसे छीन ली जाती है। ऐसे में उन्हें ये सारे कार्य चिमनी या लालटेन के उजाले में करने पड़ते हैं। केरोसिन जलने से उत्पन्न धुंए के कारण उन्हें अनेक दुष्प्रभावों का शिकार होना पड़ता है। बच्चों के गृह कार्य करने का समय भी यही होता है, उन्हें यह भी चिमनी या लालटेन के उजाले में ही करना पड़ता है, इनके धूमिल उजाले में काम करने से प्रायः उनकी नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार जो लोग केरोसीन के लैंप के आसरे या लकड़ी से जलने वाले चूल्हे पर कार्य करते हैं, उनकी सांस के साथ दो सिगरेट के बराबर धुंआ शरीर में जाता है। फिर महिलाओं का अधिकांश समय तो घर के अंदर ही बितता है, अतः वे ही सर्वाधिक प्रभावित होती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की 8 घंटे आपूर्ति भी कई समस्याओं से ग्रसित होती है। जैसे ही ग्रिड पर मांग का दबाव पड़ता है, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र की बिजली बंद की जाती है। फिर ग्रिड आधारित केंद्रीकृत बिजली उत्पादन के लिए जटिल वितरण प्रणाली की आवश्यकता होती है, इसके लिए लंबी-लंबी लाइनें डाली जाती हैं और ट्रांसफॉर्मर्स लगाए जाते हैं। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता तो होती ही है, कहीं न कहीं खराबी भी आती ही रहती है। ग्रामीण क्षेत्र के ट्रांसफॉर्मर्स के खराब होने पर उन्हें बदला ही नहीं जाता, कई बार तो उनसे कह दिया जाता है कि वे अपना स्वयं का ट्रांसफॉर्मर लगा लें। देखभाल के अभाव में ट्रांसफॉर्मर जल जाते हैं। एक समाचार पत्र *राज एक्सप्रेस* के अनुसार मध्यप्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में 9 ट्रांसफॉर्मर्स रोज़ जलते हैं, जिन्हें विद्युत मण्डल बदलने का प्रयास तो करता है, परन्तु नहीं बदल पाता। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक शिकार ग्रामीण क्षेत्र ही होते हैं और इन्हें 8 घंटे मिलने वाली बिजली भी छिन जाती है।

कुल मिलाकर मध्यप्रदेश में बिजली की आपूर्ति में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच भारी खाई है। ग्रामीण क्षेत्र के

परिवारों को थोड़े से समय के लिए, अनिश्चित तथा गुणवत्ता की दृष्टि से घटिया आपूर्ति मिलती है। मगर इस अनिश्चित समय और घटिया गुणवत्ता वाली बिजली के लिए भी ग्रामीण लोगों को शहरियों के बराबर ही कीमत चुकानी पड़ती है।

चाहे पनबिजली परियोजना हो या ताप बिजली घर, विस्थापन के शिकार ग्रामीण लोग ही होते हैं। ताप बिजली घरों से निरंतर निकलने वाली राख की वजह से भी आसपास का ग्रामीण क्षेत्र अनेक स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं तथा कृषि उत्पादन में गिरावट का शिकार होता है। कुल मिलाकर विद्युत उत्पादन के प्रतिकूल प्रभावों का शिकार तो ग्रामीण आबादी को होना पड़ता है परन्तु लाभों के मामले में शहरी आबादी आगे आ जाती है और बची-खुची बिजली ही ग्रामीणों को मिल पाती है।

विद्युत उत्पादन की वर्तमान केंद्रीकृत व्यवस्था जिसमें बड़े स्तर पर एक स्थान पर विद्युत का उत्पादन कर उसे दूर-दूर तक के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पहुंचाया जाता है, उससे तो ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में विद्युत मिलने की संभावना कम ही है। नए उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के प्रयास जब तक साकार होते हैं, तब तक शहरी क्षेत्रों की मांग इतनी बढ़ जाती है कि सारे अतिरिक्त उत्पादन पर वे ही अधिकार जमा लेते हैं और ग्रामीण क्षेत्र देखता ही रह जाता है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त एवं विश्वसनीय विद्युत किस प्रकार प्रदान की जाए? इस समस्या के हल के लिए केंद्रीकृत विद्युत आपूर्ति के स्थान पर विकेंद्रित एवं गैर परम्परागत स्रोतों (छोटे-छोटे बांध, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि) की दिशा में सोचना ही होगा। फिर इन गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों से उन समस्याओं का भी हल हो सकेगा जो केंद्रीकृत उत्पादन के साथ पैदा होती है - जैसे बड़े पैमाने पर विस्थापन, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता, कोयला जलाने की प्रक्रिया में ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन आदि। कुछ प्रदेशों जैसे राजस्थान आदि ने तो इस दिशा में कार्य करना भी शुरू कर दिया है जो कि स्वागत योग्य है। मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों को भी इसी दिशा में पहल करनी होगी। (*स्रोत फीचर्स*)